संख्या- 105 /2020/975/23-10-20-27(सेतु)/2012

प्रेषक,

राजेश कुमार अग्रवाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 08 अक्टूबर, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57 एवं अनुदान सं0-83 के अंतर्गत जनपद इटावा में बाबरपुर-गढ़ाकास्टा-हनुमन्तपुरा-भिण्ड मार्ग पर महुआसूडा एवं बंसरी के मध्य चम्बल नदी पर निर्माणाधीन सेतु पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-746/नदी सेतु/कानपुर क्षेत्र/बी0एम0सी0/2020 दिनांक 15.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद इटावा में बाबरपुर-गढ़ाकास्टा-हनुमन्तपुरा-भिण्ड मार्ग पर महुआसूडा एवं बंसरी के मध्य चम्बल नदी पर निर्माणाधीन सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त सेतु की मूल स्वीकृति शासनादेश सं0-78आगणन/23-10-12-27(सेतु) /12, दिनांक 30.01.2013 द्वारा रू0 6143.04 लाख की प्रदान की गयी हैं ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु रू0 7315.81 लाख (रूपये तिहत्तर करोड़ पन्द्रह लाख इक्यासी हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, निम्नांकित विवरणानुसार लागत की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान की जाती हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमसं0	जनपद/कार्य का विवरण	मूल स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत /पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4
1-	जनपद इटावा में बाबरपुर-गढ़ाकास्टा-हनुमन्तपुरा-भिण्ड मार्ग पर महुआसूडा एवं बंसरी के मध्य चम्बल नदी पर निर्माणाधीन सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार	6143.04	7315.81
	योग-	6143.04	7315.81

(1) निर्माण कार्य जून, 2021 तक पूर्ण किया जाय तथा प्रायोजना का पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा ।

(2) जुलाई 2017 के उपरांत क्रियान्वित कार्यों की लागत पर अनुमोदित लागत में जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है । विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 से सम्मिलित न हो ।

क्रमश :

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयररेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(4) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में कराये गये कार्यों की लागत को यथावत सम्मिलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा । प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा ।

(5) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय ।

(6) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-मुख्य सेतु आदि की लम्बाई /चौड़ाई में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2/2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(9) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(10) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(11) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा)अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-17(4)/75 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी ।

(12) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(13) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी ।

(14) प्रायोजना के अंतर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है।

(15) प्रश्नगत परियोजना की मूल स्वीकृत विषयक शासनादेश की शर्तो का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

क्रमश :

http://shasanadeshup.nic.in

(16) प्रश्नगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनावंटन की कार्यवाही विभागाध्यक्ष से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के उपरांत की जायेगी ।

(17) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(18) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/ 2020 दिनांक 07.04.2020 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा । वित्त नियंत्रक द्वारा कार्यदायी संस्था को 02-02 माह की आवश्कतानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करने के उपरांत अगले दो माह के लिये उन्हें आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी ।

(19) प्रश्नगत परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में होने वाला व्यय वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत सी0सी0एल0 के अंतर्गत किया जायेगा ।

(20) विभागाध्यक्ष लो0नि0वि द्वारा भारत सरकार की कोविड-19 हेतु जारी गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(21) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-57 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूॅंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)-0421-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूॅंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-14-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-8-1982/दस-2020, दिनांक 06 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
उप सचिव।

संख्या-105/2020/975(1)/23-10-20-27(सेतु)/2012,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) मण्डलायुक्त, कानपुर/ जिलाधिकारी, इटावा ।
(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
(4) मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियंता, कानपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, कानपुर ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(7) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in